न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 212/2020

अनवान कमलेश कुमार व अन्य बनाम राज0 सरकार

24.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनीष अहमद ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली आज ही तलब कर, अपील का निस्तारण जरिये विड्रोल करने का आग्रह किया गया। श्री अहमद द्वारा उक्त प्रार्थना के साथ अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट्स के पूर्व अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा नो–आब्जेक्शन अंकित है। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि अपीलांट्स अब उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहते है, अतः उक्त अपील जरिये विड्रो निस्तारित फरमावे। अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर की पहचान अधिवक्ता द्वारा की गई।

अतः वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स की उक्त अपील जरिये विड्रोल खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर